100Rs.

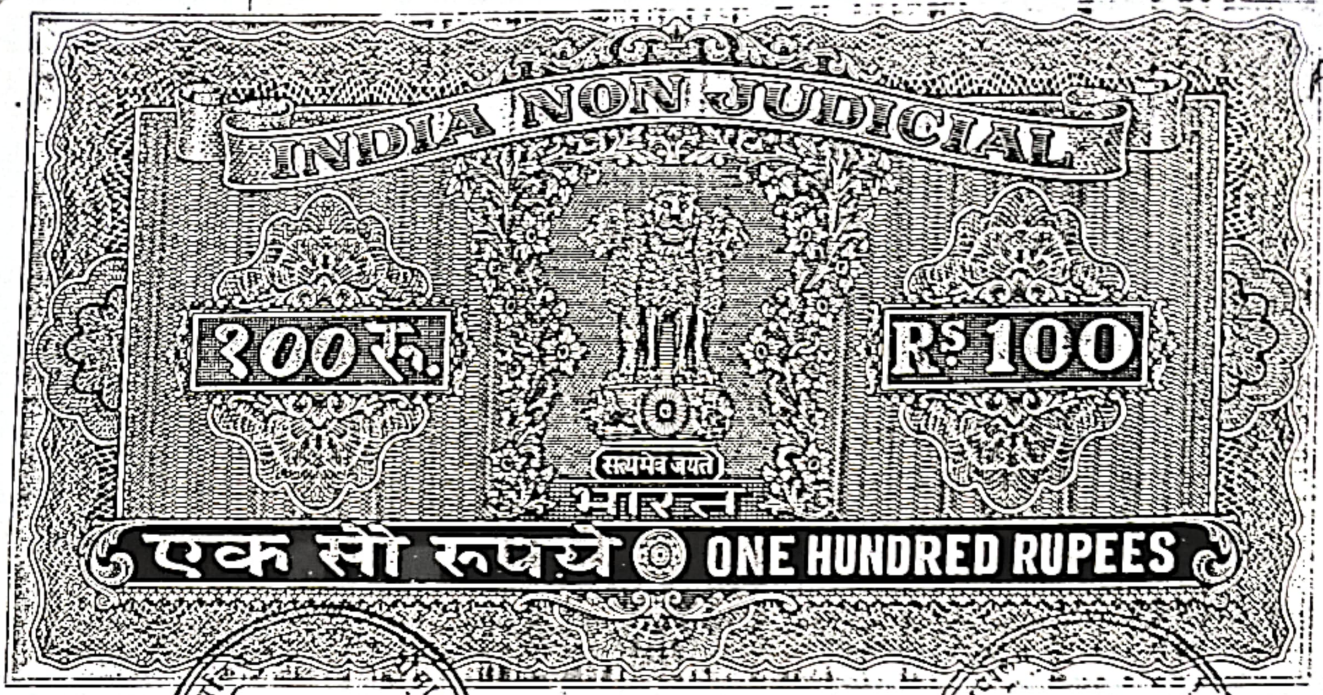

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

राजस्थान

पट्टाभिलेख

यह पट्टाभिलेख आज दिनांक ...2-7-.......... सन् 2002 को राजस्थान राज्य के राज्यपाल, जिसे आगे "पट्टाकर्ता" कहेंगे और जिस अभिव्यक्ति ने, जब तक विषय या संदर्भ से अपवर्जित न हो, पद में उसका उत्तराधिकारी अनुज्ञा अभिहस्तांकित (Permitted Assignees) सम्मिलित हैं, एक पक्ष तथा दूसरे पक्ष में पं. हरिसहाय स्मृति शोध संस्थान, ए-40, लक्ष्मीनारायण पुरी, सूरजपोल जयपुर जरिये डॉ. के.डी. शर्मा चिकित्सा सलाहकार जिसे आगे "पट्टेदार" कहेंगे तथा अभिव्यक्ति में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अपवर्जित न हो, पद में उसका उत्तराधिकारी, अभिहस्तांकिती सम्मिलित हैं, के मध्य किया गया है।

चूंकि पट्टाकर्ता, नीचे बताई गई शर्तो पर पट्टेदार को 99 वर्ष की अवधि के लिए उक्त भूमि का पट्टा प्रदान करने के लिए सहमत हुआ है।

अब यह अभिलेख निम्नलिखित साक्ष्य करता है :-

(1) यह कि उपरोक्त करार के अनुसरण में पट्टाकर्ता एतद् द्वारा संलग्न सूचि में वर्णित भूमि पर दिनांक 9.5.2000 से 99 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर प्रदान करता है।

(2) यह कि इसके पक्षकार आपसें में निम्नानुसार सहमत हैं -

1. यह कि आवंटन कीमतन होगा तथा कीमत राशि 3,00,000.00 (तीन लाख रुपये संदेय होगी

जिला कलेक्टर दौसा, जिला दौसा (राज0)

उप पंजीयक, दौसा

2. यह कि पट्टेदारी की अवधि 99 वर्ष के लिये होगी। 99 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् पट्टाकर्ता स्थिति का पुनरावलोकन करेगा और यदि भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये हो रहा है जिसकी लिये आवंटित हुई थी और उसी प्रयोजन के लिये यदि आवश्यक हुआ तो अवधि का नवीनीकरण किया जा सकेगा।

3. यह कि भूमि का उपयोग केवल इसी प्रयोजन के लिये किया जावेगा जिसके लिये उसका आवंटन हुआ है तथा भूमि का कब्जा देने के छः माह के भीतर ऐसे भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा, जिसके लिये भूमि का आवंटन हुआ है। आवंटी कब्जा देने से दो वर्ष की अवधि में निर्माण कार्य करने के लिये पूर्ण उत्तरदायी होगा।

4. यह कि भूमि सरकार में निहित होगी।

5. उक्त भूमि पर निर्मित भवन अथवा प्रारम्भ की गई संस्था का उपयोग सार्वजनिक लाभ के लिये होगा और दुराशय से उसका दुर्भावनापूर्ण हस्तान्तरण आवंटी के परिवार के किसी भी सदस्य या सदस्यों को नहीं किया जावेगा।

6. यह कि उपरोक्त शर्तों में से किसी का उल्लघंन होने की दशा में भूमि उस पर बने हुए निर्माण कार्य सहित बिना किसी क्षति पूर्ति दावे के वापस सरकार में निहित हो जावेगी।

इस साक्ष्य में इसके पक्षकारों ने इस विलेख पर उपरोक्त वर्ष तथा दिनांक को हस्ताक्षर किये हैं।

हस्ताक्षरित पट्टेदार

जिला कलेक्टर
जिला दौसा (राज0)
सरकार की ओर से हस्ताक्षरित

साक्षी 1 उपाध्याय दौसा

साक्षी 1

साक्षी 2 राकेश गोठवाल (पटवारी)

साक्षी 2

पट्टाभिलेख के संलग्न अनुसूची

कार्यालय आदेश क्रमांक RIIGP (110)98/3120-3133 दिनांक 9.5.2000 एवं संशोधित क्रमांक RIIGP (110)98/4969-82 दिनांक 11.6.2001 के द्वारा ग्राम रूगली, तहसील दौसा स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 223 रकबा 2.96 हैक्टर में से 2.00 हैक्टर व खसरा नम्बर 260 रकबा 1.86 हैक्टर में से 0.50 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 2.50 हैक्टर को चरागाह से खारिज कर पं. हरिसहाय स्मृति शोध संस्थान जयपुर मार्फत के.डी. शर्मा चिकित्सा सलाहकार को बहुउद्देश्यीय चिकित्सालय जिसमें मेडिकल और डेन्टल तथा नर्सिंग एकेडेमिक टीचिंग ब्लॉक डाक्टर्स एवं नर्सिंग होस्टल, सभागार व अन्य सभी चिकित्सालय के कार्य से सम्बन्धित भवन निर्माण हेतु राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 एवं संशोधित एवं राजकीय अधिसूचना क्रमांक प–6(3)राज/6/9/दिनांक 14.2.95 के प्रावधानों/शर्तो के अन्तर्गत कीमतन 3,00,000.00 (अक्षरे तीन लाख) रूपये अदा करने की शर्त पर 99 वर्ष की लीज पर आवंटित की गई।

यह अनुसूची पट्टाभिलेख के संलग्न रहे।

जिला कलेक्टर
जिला कलेक्टर, दौसा